[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24 -12 -,2015

NOTIFICATION

G.S.R. (E). - In exercise of the powers conferred by section 48 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules. further to amend the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, namely:-

1. (1) These rules may be called the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules), -

(i) in rule 9,-

(a) in sub-rule (1), -

(A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) An application for registration, or an application for obtaining prior permission by a person under section 11, for acceptance of foreign contribution, shall be made electronically online in Form FC-3.

(B) for clauses (b) and (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) The applicant shall upload the signed or digitally signed application along with scanned documents as specified by the Central Government from time to time":

(C) in clause (e), for the words "on plain paper", the words "electronically online in form FC-6" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), -

(A) clauses (a), (b) and (c) shall be omitted;

(B) in clause (e), for the words "on plain paper", the words "electronically online in Form FC-6" shall be substituted;

IndiaCode

(c) in sub-rule(4), in clause(d), the following words shall be inserted at the end, namely :-

"or through online electronic payment gateway as specified by the Central Government";

(ii) in rule 12, -

(a) in sub-rule (2), for the letters and figure "FC-5", the letters and figure "FC-3" shall be substituted;

(b) sub-rule (3) shall be omitted;

(c) in sub-rule (5), the following words shall be inserted in the end, namely:-
"or through online electronic payment gateway as specified by the Central Government";

(iii) for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

"13. Declaration of receipt of foreign contribution.-

(a) A person who has been granted a certificate of registration or prior permission shall place the audited statement of accounts on receipts and utilisation of the foreign contribution, including income and expenditure statement, receipt and payment account and balance sheet for every financial year beginning on the first day of April within nine months of the closure of the financial year on its official website or on the website as specified by the Central Government

(b) A person receiving foreign contribution in a quarter of the financial year shall place details of foreign contribution received on its official website or on the website as specified by the Central Government within fifteen days following the last day of the quarter in which it has been received clearly indicating the details of donors. amount received and date of receipt."

(iv) for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

"16. **Reporting by banks of receipt of foreign contribution.-**

The bank shall report to the Central Government within forty-eight hours any transaction in respect of receipt or utilisation of any foreign contribution by any person whether or not such person is registered or granted prior permission under the Act.";

(v) in rule 17, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Every person who receives foreign contribution under the Act, shall submit a signed or digitally signed report electronically online in Form FC-4 with scanned copies of income and expenditure statement, receipt and payment account and balance sheet for every

financial year beginning on the 1st day of April within nine months of the closure of the financial year.";

(b) in sub-rule (2), for the letters and figure "FC-6", the letters and figure "FC-4" shall be substituted;

(c) in sub-rule (3), for the letters and figure "FC-7", the letters and figure "FC-1" shall be substituted;

(d) in sub-rule (4), for the letters and figure "FC-8", the letters and figure "FC- 1" shall be substituted;

(e) in sub-rule (6), for the letters and figure "FC-7", the letters and figure "FC-4" shall be substituted;

(f) in sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that where foreign contribution has not been received or utilised during a financial year, it shall not be required to enclose certificate from Chartered Accountant or income and expenditure statement or receipt and payment account or balance sheet with Form FC-4. ";

(vi) after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:-

"17A. Change of designated bank account, name, address, aims, objectives or Key members of the association.-

A person who has been granted a certificate of registration or prior permission under section 11 of the Act shall intimate electronically online in Form FC-6, within fifteen days, of any change in the following, namely:-

(i) name of the association or its address within the State for which registration/ prior permission has been granted under the Act;
(ii) its nature, aims and objects and registration with local/relevant authorities,;
(iii) bank and/or branch of the bank and/or designated foreign contribution account number; and
(iv) key members of the association if at any point of time such change causes replacement of fifty percent or more of the original key members as reported in the application for grant of registration/ prior permission/ renewal of registration under the Act.";

(vii) in rule 18, for the letters and figure "FC-9", the letters and figure "FC- 1" shall be substituted;

(viii) in rule 24,-

(a) in sub-rule(1), for the letters and figure "FC-10", the letters and figure "FC- 5" shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the letters and figure "FC-6", the letters and figure "FC-4" shall be substituted;

IndiaCode

(ix) for Forms FC-1 to FC-10, the following Forms shall be substituted, namely:-

"FORM FC-1

[See rule 6, 17 and 18]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
NDCC-II Building, Jai Singh Road
New Delhi – 110001.

Subject: Intimation to the Central Government of receipt of foreign contribution by way of gift from relative by an individual / Foreign Contribution in the form of Articles/ Securities/ by a candidate for Election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010):

Sir,

I, as an individual/ association/ company registered under Companies Act 1956/ Companies Act 2013, hereby gives intimation of

Receipt of foreign contribution by way of gift from relative	Yes/ No
Foreign Contribution (Articles) Account	Yes/ No
Foreign Contribution (Securities) Account	Yes/ No
Receipt of foreign contribution by a candidate for Election	Yes/ No

IndiaCode

Part A

(To be filled by applicant giving intimation of receipt of foreign contribution by way of gift from relative)

1. Name of the recipient in full (*in block letters*):
2. Date of birth:
3. Name of Father/Spouse:
4. Contact details of the recipient
 (a) Address:
 (b) Telephone and mobile number with STD code
 (c) e-mail address
5. Permanent Account Number (PAN) of the recipient in India:
6. Amount of foreign contribution received, if it exceeds Rs. 1 lakh or equivalent in a financial year:
7. Number of the Bank Draft or telegraphic transfer or other communication including the Bank Details:
8. Details of the relative:
 (a) Name:
 (b) Nationality
 (c) Country of residence
 (d) e-mail address
 (e) Passport Number
 (f) Relationship with the recipient

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the applicant
(Name, *in block letters*)

Part B

(To be filled by applicant giving intimation about Foreign Contribution (Articles) Account/ Foreign Contribution (Securities) Account)

1. Details of the applicant:
 - (i) Name in full:
 - (ii) Contact Details:
 - (a) Address
 - (b) Official Telephone No.(with STD code):
 - (c) Official e-Mail address
 - (iii) FCRA Registration/Prior Permission number and date, if any
 - (iv) PAN (Permanent Account Number) of the Association:

2. Details of articles:

Date	Name of article (s)	Description	Name and address of the person from whom received	Purpose	Quantity	Approximate value (Rs.)	Mode of Utilisation/Disposal (if disposed to whom)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

3. Details of securities

Date	Nature of security received	Name and address of the person from whom received	Nominal Value (Rs.)	Market value (Rs.)	Reserve Bank of India permission details	Mode of Utilisation/ Disposal (if disposed to whom)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IndiaCode

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the Applicant
(Name of the applicant *in block letters*)
Official Seal

Part C

(To be filled for giving intimation to the Central Government of Receipt of Foreign Contribution received by a candidate for Election [section 21 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010))

1. Name in full:
2. Date of birth:
3. Name of father/spouse:
4. Contact details
 (a) Address:
 (b) e-mail address
 (c) telephone and mobile number (with STD code)
5. Date on which duly nominated as a candidate for election to a Legislature and particulars of Legislature: *(See section 21 of the Act)*
6. Details of foreign contribution received within one hundred and eighty days immediately preceding the date on which duly nominated as a candidate for election

Foreign contribution received as cash / article / securities	Value (Rs.)	Purpose	Donor name, address and e-mail address	Individual Donor nationality	Relationship with donor	Utilisation details
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:

Date:

Signature of the candidate
(Name, *in block letters*)

FORM FC-2

[See rule 7(1)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
NDCC-II Building, Jai Singh Road
New Delhi – 110001

Subject: Application for seeking prior permission of the Central Government to accept foreign hospitality.

[**Note:** *For foreign hospitality availed in case of emergent medical aid situation, intimation to be given on plain paper to the Secretary, Ministry of Home Affairs at the address mentioned in FORM FC-2, within sixty days of such receipt of foreign hospitality.*]

1. Name in full:
2. Date of Birth:
3. Name of father/husband:
4. Contact details:
 (a) Address:
 (b) Telephone and mobile number with STD code:
 (c) e-mail address
5. Passport particulars (*if already in possession*):
6. Status: - (a) Member of Legislature (b) Office bearer of a political party (c) Judge of Supreme Court/High Court (d) Government servant (e) Employee of a Corporation or any other Body owned or controlled by Govt
7. Details of hospitality proposed to be availed

Names of cities/countries for which hospitality is to be accepted	Duration of stay From/To	Purpose of visit	Nature of hospitality to be accepted		Duration of hospitality to be accepted	Approximate expenditure to be incurred on hospitality (Rs.)	Remarks
			In Cash	In kind			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

8. Particulars of host(s): -

Nature of Host – individual / organisation	Full Name	Nationality / Passport Number	Profession	Address	e-mail address	Fixed line telephone Number (with code); Mobile Number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

9. Nature of connection/relationship with the host and/or foreign source extending the hospitality:

10. Letter from the host regarding the details of hospitality to be extended and Recommendation Letter from the organisation to which the applicant belongs are to be enclosed.

DECLARATION

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

Place:
Date:

Signature of the applicant
(Name, *in block letters*)

FORM FC - 3

[See rule 9 (1) (a) / rule 12]

No_____ Date _____

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
NDCC-II Building,
Jai Singh Road
New Delhi – 110001

Subject: Application for 'registration'/ 'prior permisssion'/ 'renewal' under section 11 (1) & (2) / section 16 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 for the acceptance of foreign contribution by an Association having definite cultural, economic, educational, religious or social programme:

Sir,

I _____, as an individual/ Hindu Undivided Family / association / company registered under Companies Act 1956 / Companies Act, 2013, furnish the following details and apply for approval of the Central Government for the acceptance of foreign contribution under sub-section (1) / (2) of section 11/ Section 16 of the Act for

(a) registration	Yes/No
(b) prior permission	Yes/No
(c) Renewal	Yes/No

IndiaCode

1. Details of the applicant/Association:
(a) Name in full:
(b) Address:
(c) Telephone No. of the Association (with STD code):
(d) e-mail address of the association
(e) official Website address, if any:
(f) Telephone and mobile (with STD code) of the Chief Functionary
2. Details of registration:
(a) Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, Companies Act, 1956 / Companies Act, 2013, etc under which the association is registered:
(b) Number, date and place of Registration:
(self-*certified copy of the registration certificate to be enclosed*):
(c) PAN (Permanent Account Number) of the Association:
(d) FCRA Regn no. and date (in case of renewal) – copy of certificate to be enclosed:
3. Nature of Association:
(a) religious (b) cultural (c) economic (d) educational (e) social
Note: If a religious Association, state whether (a) Hindu (b) Sikh (c) Muslim (d) Christian (e) Buddhist (f) Others.
4. Main aim(s) and object(s) of the Association
(*enclose self-certified copy of relevant pages of the Memorandum of Association and/or the Articles of Association, showing aims and objects of association):*
5. (a) Details of the key functionaries of the Association:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar Number, if any	Occupation	Designation in the Association	Relationship with other Member(s) of the Executive Council / Governing body / Office bearers	Contact Details: Office Address; Residential Address; e-mail address;; Landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(b) If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof

Name	Date and Place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date from which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6. Amount of fee paid (Rs.):

7. Whether any current Key functionary of the Association has, in the discharge of his/her official functions or private conduct:

(a) been convicted by any court of law:

(b) under prosecution for any offence pending against him/her:

(c) been found guilty of diversion or mis-utilisation of funds of the Association or any other Association in the past:

(d) has been prohibited from accepting foreign contribution:

(e) is a current Key functionary of any other association:

(f) is a current Key functionary of any other association against whom an order under section 13 or 14 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) has been passed:

Note: If any of the replies to (a) to (f) above is "yes", then full details of the case must be given

8. Whether the applicant Association:

(a) is a branch / unit / associate of a foreign based organisation or another association already registered or granted prior permission under the Act. If so, name, address of the organization and registration number/ prior permission number and date:

(b) attracts section 10 of the Act and if so, details of the order passed by the Central Government under section 11(3) of the Act:

(c) has been directed in terms of section 9 (d) of the Act to seek prior permission by the Central Government. If so, the number and date of the relevant order:

(d) had earlier been proceeded against as per provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976)/ Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010), if so, the details thereof:

IndiaCode

9. (a) Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

9. (b) Details of all utilization bank accounts for utilization of Foreign Contribution (To be filled by applicant applying for renewal of registration):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

10. (i) (a) If granted prior permission in past to receive foreign contribution,number and date of sanction:

(b) Date of submission of yearly accounts thereof:

(ii) Whether:

(a) the Association has received foreign contribution without prior permission in the past. If so, furnish full particulars

(b) said violation has been condoned/ compounded by the Central Government, if so, the number and date of the relevant order:

(c) Association has been prohibited from accepting foreign contribution, if so, details thereof

11. Whether:

(i) the Association had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010) in the past, and if so details thereof,

(ii) the Association had applied for prior permission under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976) / Foreign Contribution (Regulation) Act 2010 (42 of 2010) in the past, and if so, details thereof

(iii) the Association has close links with any another Association(s), or its unit(s) or branches, which has been,

(a) refused registration / prior permission :

(b) prohibited from accepting foreign contribution:

(c) suspended or whose registration has been cancelled:

(d) if answer to any of (a) to (c) is yes, please give full particulars

12. Details of commitment of foreign contribution from donor. (applicable to prior permission cases only):

Nature of the foreign contribution	Value (including name of currency)	Name of the project/ Activity; address of implementation with brief details of the project and budget break-up	Purpose (Cultural/ economic/ educational/ religious/ social)
(1)	(2)	(3)	(4)

(A copy of the latest and duly signed commitment letter from the donor to be enclosed)

IndiaCode

13. Details of foreign source(s) from which the foreign contribution is proposed to be received (applicable to prior permission cases only):

Name of foreign source	Office Address; official e-mail address	In case of individual donor		
(1)	(2)	(3)		
		Name of father/ spouse	Nationality and Passport no.	Occupation

Yours faithfully,

Signature of the Chief Functionary
[Name of the Chief Functionary *in block letters*]
(Seal of the Association)

Declaration and Undertaking

(a) I hereby declare that the information furnished above is true and correct;

And I undertake:

(b) that the receipt of foreign contribution and its utilization shall not be violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) / rules, notifications / orders issued there under from time to time;

Place:
Date:

Signature of the Chief Functionary
[Name of the Chief Functionary *in block letters*]
(Seal of the Organisation/Association)

IndiaCode

Note: Applicant seeking registration are also to enclose audited statement of accounts and activity report of the association for the last three years.

FORM FC - 4

[See rule 17]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
NDCC-II Building, Jai Singh Road
New Delhi – 110001

Subject: Account of Foreign Contribution for the year ending on the 31st March_____

1. FCRA registration/ prior permission number and date:

2. Details of receipt and utilisation of foreign contribution:

(i) Foreign Contribution received in cash/ kind (value)

(a) Brought forward foreign contribution at the beginning of the year (Rs.)	
(b) Interest or other receipt during the year*	
(c) Foreign Contribution received during the financial year	
(i) Directly from a foreign source	
(ii) as transfer from a local source	

(d) Total Foreign Contribution (a+b+c) (Rs.)	

* i.e. interest accrued on foreign contribution, or any other income derived from foreign contribution, e.g. sale proceeds from assets created from foreign contribution, or interest thereon during the year

(ii) (a) Donor wise detail of foreign contribution received in excess of Rupees 20,000:

Sl. No.	Name of donor(s)	Institutional / Individual	Details of the donor: official Address; ; e-mail address; Website address;	Purpose(s) for which received	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(b) Cumulative purpose-wise amount of all foreign contribution donations received:

(iii) Details of utilization of foreign contribution:

(a) Total Utilisation** for projects as per aims and objectives of the association (Rs.)	
(b) Total Administrative Expenses as provided in Rule 5, FCRR 2011 (Rs.)	
(c) Total invested in term deposits (Rs.)	
(d) Total purchase of fresh assets (Rs.)	
(e) Total utilization in the year (Rs.) (a+b+c+d)	

** It is affirmed that the utilisation of foreign contribution is not in contravention of the provisions contained in FCRA, 2010 and more particularly in Section 9 and Section 12 of the Act which, inter-alia, states that the acceptance of foreign contribution is not likely to affect prejudicially

(A) the sovereignty and integrity of India; or

(B) the security, strategic, scientific or economic interest of the State; or

(C) the public interest; or

(D) freedom or fairness of election to any legislature; or

(E) friendly relations with any foreign State; or

(F) harmony between religious, racial, social, linguistic or regional groups, castes or communities

(iv) Balance of unutilized foreign contribution, in cash/bank, at the end of the year(Rs):

(v) Total number of foreigners working (salaried/ in honorary capacity):

3 (a) Details of designated FC bank account for receipt of Foreign Contribution (As on 31st March of the year ending):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

(b) Details of all utilization bank accounts for utilization of Foreign Contribution (As on 31st March of the year ending):

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

Declaration

I hereby declare that the above particulars furnished by me are true and correct.

I also affirm that the receipt of foreign contribution and its utilization have not been violative of any of the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, rules, notifications/ orders issued there under from time to time and the foreign contribution was utilized for the purpose(s) for which the association was granted registration/ prior permission by the Central Government

Place:

Date:

Signature of the Chief Functionary

(Name of the Chief Functionary *in block letters*)

(*Seal of the Association*)

Certificate to be given by Chartered Accountant

I/We have audited the account of _____ (*name of Association and its full address including State, District and Pin Code, if registered society, its registration number and State of registration*) for the financial year ending the 31st March_____ and examined all relevant books and vouchers and certify that according to the audited account:

(i) the brought forward foreign contribution at the beginning of the financial year was Rs._____;

(ii) foreign contribution of / worth Rs._____ was received by the Association during the financial year _____;

(iii) interest accrued on foreign contribution and other income derived from foreign contribution or interest thereon of/worth Rs._____ was received by the Association during the financial year _____;

(iv) the balance of unutilised foreign contribution with the Association at the end of the financial year_____ was Rs. _____;

(v) Certified that the Association has maintained the accounts of foreign contribution and records relating thereto in the manner specified in section 19 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) read with rule 17 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.

(vi) The information in this certificate and in the enclosed Balance Sheet and statement of Receipt and Payment is correct as checked by me/us.

(vii) The association has utilized the foreign contribution received for the purpose(s) it is registered/ granted prior permission under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010

Place:

Date:

Signature of Chartered Accountant

(*Seal, Address and Registration number*)

FORM FC – 5

[See rule 24 (1)]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
NDCC-II Building,
Jai Singh Road
(Opposite Jantar Mantar)
New Delhi – 110001

Subject: Application for seeking permission for transfer of foreign contribution to other un-registered persons.

Sir,

I _____, on behalf of the association _____ apply for seeking permission of the Central Government under the proviso to section 7 of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) for transfer of foreign contribution to other un-registered persons, as per details given below:

1. FCRA registration/ prior permission Number and date of the applicant/ transferor association:
2. Details of the recipient /transferee association:
 - (i) Name in full:
 - (ii) Contact Details
 - (a) Address:
 - (b) Official Telephone No. of the Association (with STD code):
 - (c) Official e-Mail address:
 - (d) Telephone and mobile number of the Chief Functionary (with STD code):
 - (iii) PAN (Permanent Account Number) of the Association:
3. Details of registration of recipient /transferee association:
 - (a) Name of the Act like Societies Registration Act, 1860, Indian Trust Act, 1882, Companies Act, 1956/ Companies Act, 2013, etc under which the association is registered:
 - (b) Registration number, date and place of registration:

 (self-certified *copy of the registration certificate to be enclosed*)
4. Amount of Foreign contribution to be transferred:
5. Purpose for the proposed transfer of foreign contribution
6. Bank details and exclusive FCRA designated account number opened by the recipient, in which FC is proposed to be transferred:

Name of the Bank	Branch Address (with PIN code)	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

IndiaCode

I hereby declare that the information furnished above is true and correct.

Signature of the Chief Functionary
[Name of the Chief Functionary *in block letters*]
(Seal of the Association)

Note:

(i) Every application shall be accompanied by a declaration from the transferor Association to the effect that—

(a) the amount proposed to be transferred during the financial year is less than ten per cent of the total value of the foreign contribution received by him during the financial year;

(b) the transferor shall not transfer any amount of foreign contribution until the Central Government approves such transfer.

(ii) Both the transferor and the recipient shall be responsible for ensuring proper utilisation of the foreign contribution so transferred and such transfer of foreign contribution shall be reflected in the returns in Form FC-4 to be submitted by both the transferor and the recipient.

IndiaCode

FORM FC-6

[See rule 9 and 17A]

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Home Affairs,
Foreigners Division (FCRA Wing)
NDCC-II Building, Jai Singh Road
New Delhi – 110001

Subject: Intimation under Rule 9 and Rule 17 A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2010 (42 of 2010) to the Central Government regarding Change of designated bank account, Utilisation Account, name/ address/ aims/ objectives/ Key members in respect of the association granted registration/ prior permission under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010:

Sir,

I, as an individual/ association/ company hereby submit the following intimation as required under Rule 17A of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011:

Change of name and/ or aims and objects of the association	Yes/ No

Change of address within the State for which registration/ prior permission granted under the above Act	Yes/ No
Change of designated bank/ branch/ bank account number for receipt and utilization of foreign contribution	Yes/ No
Opening of Utilisation Bank Account for the purpose of utilization of foreign contribution	Yes/ No
Change in more than 50% Key members of the association	Yes/ No

1. FCRA Registration/ Prior Permission number and date of the association:
2. Official telephone number of the association:
3. E-mail address of the association:
4. Telephone/ mobile number of the Chief Functionary of the association:

Part A

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of name and/ or aims and objects of the association)

(i) Amended/ changed name of the association as recorded with local/ relevant authority

(ii) Amended/ changed aims and objects of the association as recorded with local/ relevant authority

(self certified copy of amendment approved by local / relevant authority to be enclosed)

Part B

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of address within the same State from which granted registration/ prior permission under FCRA, 2010 Act)

New Address of the association:

Part C

(To be filled by applicant giving intimation regarding Change of designated bank/ branch of the bank/ account number for receipt and utilization of foreign contribution)

Details of the new designated bank account of the association for receipt and utilization of foreign contribution

Name of the Bank	Branch Address	IFSC Code	Account No
(1)	(2)	(3)	(4)

(self certified copies of letter from the existing bank and the new bank regarding the change to be enclosed)

Part D

(To be filled by applicant giving intimation of opening of Utilisation Bank Account(s) for the purpose of utilization of foreign contribution)

Name of the Bank	Branch Address	IFSC Code	Utilisation Account Number
(1)	(2)	(3)	(4)

Part E

(To be filled by applicant giving intimation regarding change in more than 50% of key members of the association)

Details of all the key members of the association after change in 50 per cent or more of the original key members. as reported in the application for grant of registration/prior permission/renewal of registration of the association under FCRA, 2010:

Name	Name of father/spouse	Nationality	Aadhaar Number, if any	Occupation	Designation in the Association	Relationship with other Member(s) of the Executive Council / Governing body / Office bearers	Contact Details: Office Address; Residential Address; e-mail address;; Landline no.; mobile no.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(70	(8)

IndiaCode

If any of the above is a foreigner (including PIO/OCI card holder), details thereof

Name	Date and Place of birth	Passport number	Address in the foreign country	Whether a person of Indian origin	PIO/OCI Card Number, if any	If resident in India, date from which residing in India
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I hereby affirm that the information furnished above is true and correct and

(a) Change of name and/ or aims and objects; address of the association has been duly recorded with the concerned registering authority

(b) The resolution of the governing body has been passed before effecting the changes

(c) The Bank authorities have been duly informed about change in the designated bank account / opening of Utilisation account

(d) None of the key members has been appointed in violation of section 12(4) of Foreign Contribution (Regulation) Act 2010

(strike out whichever is not applicable)

Signature of the Chief Functionary
[Name of the Chief Functionary *in block letters*]
(Seal of the Association)".

(File No. II/21022/23(52)/2014-FC-III)

(G.K. Dwivedi)
Joint Secretary to the Government of India

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification No. G.S.R. 349(E), dated the 29th April, 2011 and subsequently amended vide notification No. G.S.R. 292(E), dated the 12th April, 2012

IndiaCode

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 14.12.2015

सा.का.नि.(अ).- केंद्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,

(i) नियम 9 में, -

(क) उपनियम (1) में, -

(अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(क) विदेशी अभिदाय की स्वीकृति हेतु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या धारा 11 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन प्ररूप एफसी-3 में किया जाएगा ।

(आ) खंड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

IndiaCode

"(ख) आवेदक, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट. स्कैन किए गए दस्तावेजों सहित हस्ताक्षरित या डिजीटली हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करेगा":

(इ) खंड (ड.) में, "सादे कागज पर" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिकली ऑन लाइन प्ररूप एफ सी –6 में" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (2) में, -

(अ) खंड (क), (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (ड.) में "सादे कागज पर" शब्दों के स्थान पर "इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन प्ररूप एफ सी-6 में" शब्द रखे जाएंगे;

(इ) उपनियम (4) में खंड (घ) में अंत में निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक संदाय गेटवे के माध्यम से";

(ii) नियम 12 में, -

(क) उपनियम (2) में "एफ सी- 5" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी- 3" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (5) में में अंत में निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऑन लाइन इलैक्ट्रानिक संदाय गेटवे के माध्यम से";

(iii) नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"13. विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की घोषणा –

IndiaCode

(क) कोई व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है विदेशी अभिदाय की प्राप्तियों के उपयोग के संपरीक्षित विवरण के लेखे जिसके अंतर्गत प्रथम अप्रैल को प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र हैं, वित्तीय वर्ष के समापन के नौ मास के भीतर शासकीय वैबसाइट या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वैबसाइट पर रखेगा ।

(ख) कोई व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष की तिमाही में विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे उस तिमाही, जिसमें यह प्राप्त हुआ है, के अंतिम दिन के पश्चात् पंद्रह दिन के भीतर दाताओं के ब्यौरे, प्राप्त रकम और प्राप्ति की तारीख स्पष्टतया उपदर्शित करते हुए अपनी शासकीय वैबसाइट या केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वैबसाइट पर रखेगा ।"

(iv) नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"16. विदेशी अभिदाय की प्राप्ति का बैंकों द्वारा रिपोर्ट किया जाना –

बैंक, केंद्रीय सरकार को किसी व्यक्ति, चाहे ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत है या नहीं या उसे अधिनियम के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है या नहीं, द्वारा किसी विदेशी अभिदाय की प्राप्ति या उपयोग के संबंध में किसी संव्यवहार की रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर करेगा ।";

(v) नियम 17 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है, प्रथम अप्रैल को प्रारंभ होने वाले के वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, आय और व्यय लेखा और तुलन-पत्र की स्कैन की गई प्रतियां सहित वित्तीय वर्ष के समापन के नौ मास के भीतर हस्ताक्षरित या डिजीटली हस्ताक्षरित रिपोर्ट इलैक्ट्रानिकली ऑन लाइन प्ररुप एफ सी-4 में प्रस्तुत करेगा ।";

(ख) उपनियम (2) में, -"एफ सी-6" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी-4" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (3) में, -"एफ सी-7" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी- 1" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (4) में, -"एफ सी-8" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी-1" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ङ.) उपनियम (6) में, -"एफ सी-7" अक्षरों और अंक के स्थान पर "एफ सी-4" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(च) उपनियम (8) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी अभिदाय प्राप्त या उपयोग नहीं किए गए हैं, वहां चार्टर्ड लेखाकार से प्रमाणपत्र या प्ररुप एफ सी-4 के साथ आय और व्यय विवरण या प्राप्ति और संदाय लेखा या तुलन-पत्र संलग्न करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।";

(vi) नियम 17 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17क. अभिहित बैंक लेखा, नाम, पता, लक्ष्यों, उद्देश्यों या संगम के मुख्य सदस्यों का परिवर्तन-

कोई व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या अधिनियम की धारा 11 के अधीन पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है निम्नलिखित में किसी परिवर्तन को 15 दिन के भीतर इलैक्ट्रानिकली ऑनलाइन प्ररुप एफ सी-6 में सूचित करेगा, अर्थात् :-

(i) राज्य के भीतर संगम का नाम और उसका पता जिसके लिए अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है;
(ii) इसकी प्रकृति, लक्ष्य और उद्देश्य तथा स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारियों से रजिस्ट्रीकरण;
(iii) बैंक और/या बैंक की शाखा और/या अभिहित विदेशी अभिदाय खाता संख्यांक; और
(iv) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने/रजिस्ट्रीकरण की पूर्व अनुज्ञा/नवीनीकरण के लिए आवेदन में यथारिपोर्टित संगम के मुख्य सदस्य, यदि किसी समय ऐसे परिवर्तन के कारण मूल मुख्य सदस्यों के पचास प्रतिशत या अधिक बदल जाते हैं।";
(vii) नियम 18 में, "एफ-9" अक्षरों और अंक के स्थान पर, "एफसी-1" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

IndiaCode

(viii) नियम 24 में,--

(क) उपनियम (1) में "एफसी-10" अक्षरों और अंक के स्थान पर, "एफसी-5" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (4) में "एफसी-6" अक्षरों और अंक के स्थान पर, "एफसी-4" अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ix) प्ररूप एफसी-1 से एफसी-10 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:--

प्ररुप एफ.सी.-I

[नियम 6, 17 और 18 देखें]

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध)
एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली-110001

IndiaCode

विषय: किसी व्यक्ति द्वारा संबंधी से उपहार के रुप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने/निर्वाचन के अभ्यर्थी द्वारा वस्तुओं/प्रतिभूतियों के रुप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने [विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21] की सूचना केन्द्रीय सरकार को देना:

महोदय,

मैं,.....कम्पनी अधिनियम 1956/कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक व्यक्ति/संगम/कम्पनी के रुप में, एतद्द्वारा निम्नलिखित सूचना देता हूँ

संबंधी से उपहार के रुप में विदेशी अभिदाय की प्राप्ति	हां/नहीं
विदेशी अभिदाय (वस्तु) लेखा	हां/नहीं
विदेशी अभिदाय (प्रतिभूति) लेखा	हां/नहीं
निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति	हां/नहीं

भाग क

(किसी संबंधी से उपहार के रुप में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की सूचना आवेदक द्वारा भरी जाए)

1. प्राप्तकर्ता का पूरा नाम (साफ अक्षरों में):
2. जन्म तारीख:
3. पिता/पति का नाम:
4. प्राप्तकर्ता के सम्पर्क ब्योरे
 (क)पता:
 (ख) एस.टी.डी. कोड सहित टेलिफोन नं. और मोबाइल नं. :
 (ग)ई-मेल पता
5. भारत में प्राप्तकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन):
6. प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय की रकम, यदि किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख से अधिक या उसके समतुल्य है:
7. बैंक ड्राफ्ट का नम्बर या टेलीग्राफिक अंतरण या बैंक के ब्योरे सहित अन्य संसूचना:
8. संबंधियों के ब्योरे:

(क) नाम:

(ख) राष्ट्रीयता

(ग) जिस देश में रहते है उस देश का नाम

(घ) ई-मेल पता

(ड.) पासपोर्ट संख्या

(च) प्राप्तकर्ता के साथ संबंध

IndiaCode

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम साफ अक्षरों में)

भाग ख

(विदेशी अभिदाय (वस्तुएं) खाता/विदेशी अभिदाय (प्रतिभूतियां), खाता के बारे में सूचना देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाए)

1. आवेदक के ब्योरे:

 (i) पूरा नाम

 (ii) सम्पर्क ब्योरे:

 (क) पता

 (ख) कार्यालय का टेलिफोन न. (एस.टी.डी. कोड सहित):

 (ग) कार्यालय का ई-मेल पता

 (iii) एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण/पूर्वाअनुज्ञा संख्या और तारीख, यदि कोई हो

 (iv) संगम का पैन (स्थायी खाता संख्या):

2. वस्तुओं के ब्योरे

IndiaCode

तारीख	वस्तु का नाम	वितरण	उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे प्राप्त की गई है	प्रयोजन	मात्रा	अनुमानित मूल्य (रु0)	उपयोग/निस्तारण की पद्धति (यदि किसी को निस्तारित की गई है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

3. प्रतिभूतियों के ब्योरे

तारीख	प्राप्त प्रतिभूति की प्रकृति	उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे प्राप्त की गई है	सांकेतिक मूल्य (रु0)	बाजार मूल्य (रु0)	भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञा के ब्योरे	उपयोग/निस्तारण की पद्धति (यदि किसी को निस्तारित की गई है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IndiaCode

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त ब्योरे सत्य और सही हैं।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
(आवेदक का नाम, साफ अक्षरों में)
कार्यालय की मुहर

भाग ग

(निर्वाचन के अभ्यर्थी द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति (विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 21) की सूचना केन्द्रीय सरकार को देने के लिए भरा जाए।)

1. पूरा नाम:
2. जन्म की तारीख
3. पिता/पति का नाम
4. सम्पर्क ब्योरे
5. (क) पता:
 (ख) ई-मेल पता
 (ग) टेलिफोन और मोबाइल न. (एस.टी.डी. कोड सहित)
6. वह तारीख जिस पर किसी विधानमंडल के सदस्य के रुप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी के रुप में विधिवत रूप से नामित किया गया है और विधानमंडल के ब्योरे: (अधिनियम की धारा 21 देखें)
7. निर्वाचन के अभ्यर्थी के रुप में विधिवत् रुप से नामित किए जाने की तारीख से ठीक पहले एक सौ अस्सी दिनों के भीतर प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय के ब्योरे
8.

नकद/वस्तु/प्रतिभूतियों के रुप में प्राप्त विदेशी अभिदाय	मूल्य रु0)	प्रयोजन	दानकर्ता का नाम पता, और ई- मेल पता	वैयक्तिक दानकर्ता की राष्ट्रीयता	दानकर्ता के साथ संबंध	उपयोग संबंधी ब्योरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

IndiaCode

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सत्य और सही है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम, साफ अक्षरों में)

प्ररुप एफ.सी.-2
[नियम 7(1) देखें]

IndiaCode

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध)
एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली - 110001

विषय: विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने हेतु केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन:

[टिप्पण: आकस्मिक चिकित्सा सहायता की दशा में विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए ऐसे विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने की तारीख से साठ दिन के भीतर प्ररूप एफ.सी.-2 में दिए गए पते पर सचिव, गृह मंत्रालय को सादे कागज पर सूचना]

1. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) :
2. जन्म की तारीख :
3. पिता/पति का नाम :

4. सम्पर्क के ब्योरे :

(क)पता

(ख) एस.टी.डी. कोड सहित टेलिफोन न. और मोबाइल न.

(ग)ई-मेल पता

5. पासपोर्ट ब्योरे (यदि पहले से ही धारित है):

6. प्रास्थिति: - (क) विधानमंडल का सदस्य (ख) किसी राजनीतिक दल का पदधारी (ग) उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (घ)सरकारी सेवक (ड.) किसी निगम या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी अन्य निकाय का कर्मचारी

7. प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित आतिथ्य के ब्योरे

उन शहरों/देशों के नाम जिनसे आतिथ्य स्वीकार किया जाएगा	ठहरने की अवधि से/तक	यात्रा का प्रयोजन	स्वीकार किए जाने वाले आतिथ्य की प्रकृति		स्वीकार किए जाने वाले आतिथ्य की अवधि	आतिथ्य पर किया जाने वाला अनुमानित व्यय (रु0)	टिप्पणियां
			नकद रूप में	वस्तु रूप में			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

8. मेजबान (नों) के ब्योरे:-

मेजबान की प्रकृति - वैयक्तिक/संगठन	पूरा नाम	राष्ट्रीयता/पासपोर्ट संख्या	वृत्ति	पता	ई-मेल पता	स्थायी लाइन वाला टेलिफोन न. (कोड सहित); मोबाइल न.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

9. आतिथ्य प्रस्तुत करने वाले मेजबान और/ या विदेशी स्त्रोत के साथ संपर्क/संबंध की प्रकृति:

India Code

10. प्रस्तुत किए जाने वाले आतिथ्य के ब्योरे के संबंध में मेजबान का पत्र और आवेदक जिस संगठन से संबंधित है उनसे प्राप्त अभिशंसा पत्र संलग्न किया जाएगा।

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सत्य और सही हैं।

स्थान:

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम, साफ अक्षरों में)

IndiaCode

प्ररुप एफ.सी.-3

[नियम 9 (1 (क) / नियम 12 देखें]

सं._____

तारीख_____

सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध)
एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली-110001

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 11(1) और (2)/ धारा 16 के अधीन निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले किसी संगम द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने हेतु 'रजिस्ट्रीकरण'/'पूर्व अनुज्ञा'/'नवीनीकरण' के लिए आवेदन:

महोदय,

मैं,.....कम्पनी अधिनियम 1956/कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति/हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब/संगम/रजिस्ट्रीकृत कम्पनी के रूप में निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत करता हूँ और विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) / (2) / धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए आवेदन करता हूँ:

(क)पंजीकरण	हॉ/नहीं
(ख) पूर्व अनुज्ञा	हॉ/नहीं
(ग) नवीनीकरण	हॉ/नहीं

1. आवेदक/संगम के ब्योरे:

(क) पूरा नाम

(ख) पता:

(ग) संगम का टेलिफोन नं. (एस.टी.डी. कोड सहित):

(घ) संगम का ई-मेल पता

(ड.) कार्यालय वेबसाइट पता यदि कोई हो:

(च) मुख्य कृत्यकारी का टेलिफोन नं. और मोबाइल नं. (एस.टी.डी. कोड सहित)

2. रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे

(क) अधिनियम का नाम जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, कम्पनी अधिनियम, 1956/कम्पनी अधिनियम, 2013 आदि जिसके अंतर्गत संगम रजिस्ट्रीकृत है:

(ख) रजिस्ट्रीकरण की संख्या, तारीख और स्थान:
(संलग्न किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण *प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति):*

(ग) संगम का पैन (स्थायी खाता संख्या):

(घ) एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख (नवीनीकरण के मामले में) - प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जाए:

3. संगम की प्रकृति:

(क) धार्मिक (ख) सांस्कृतिक (ग) आर्थिक (घ) शैक्षणिक (ड.) सामाजिक

नोट: यदि संगम धार्मिक है तो उल्लेख करें कि (क) हिन्दू (ख) सिख (ग) मुस्लिम (घ) ईसाई (ड.) बौद्ध (च)अन्य मे से क्या है।

4. संगम के मुख्य उद्देश्य और *लक्ष्य*

IndiaCode

(संगम के उद्देश्य और लक्ष्य दर्शाते हुए संगम के ज्ञापन और/या संगम के अनुच्छेदों के संगत पृष्ठों की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें):

5. संगम के मुख्य कार्यकर्ताओं के ब्योरे:

नाम	पिता/पति का नाम	राष्ट्रीयता	आधार नं. यदि कोई हो	व्यवसाय	संगम में पदनाम	कार्यकारी परिषद/शासी निकाय/कार्यालय पदधारकों के अन्य सदस्य (यों) के साथ संबंध	संपर्क ब्योरे: कार्यालय पता: आवासीय पता: ई-मेल पता: लैंड लाइन नं. मोबाइल नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(ख) यदि उपर्युक्त में से कोई विदेशी (पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. कार्ड धारक सहित) है तो उससे संबंधित ब्योरे

नाम	जन्म की तारीख और स्थान	पासपोर्ट संख्या	विदेश में पता	क्या भारतीय मूल के व्यक्ति है	पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. कार्ड संख्या, यदि कोई हो।	यदि भारत में निवासी है, तो वह तारीख जब से भारत में निवास कर रहे हैं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6. भुगतान किए गए शुल्क की राशि (रु0):

7. क्या संगम का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी, अपने कार्यालय संबंधी कार्यों के निर्वहन में या निजी व्यवहार में:

(क) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया/गई है:

(ख) उसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में कोई अभियोजन लंबित है:

(ग) संगठन की निधियों या पूर्व में किसी अन्य संगठन की निधियों का अपयोजन या दुरूपयोग का दोषी पाया गया/गई है:

(घ) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध किया गया/गई है:

(ड.) किसी अन्य संगठन का वर्तमान मुख्य कृत्यकारी है:

(च) किसी ऐसे अन्य संगठन का मुख्य कृत्यकारी है जिसके विरुद्ध विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 13 या धारा 14 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है:

टिप्पण:- यदि उपयुक्त (क) से (ड.) तक का उत्तर 'हां' में है, तो मामले का पूर्ण विवरण अवश्य दिया जाए।

8. क्या आवेदक संगम:

(क) किसी ऐसे विदेश में आधारित संगठन या अन्य संगम की कोई शाखा/इकाई/सहायक है जिसे अधिनियम के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है। यदि ऐसा है, तो मूल संगठन का नाम पता और रजिस्ट्रेशन न./ पूर्व अनुज्ञा सं. और तारीख प्रस्तुत करें:

(ख) अधिनियम की धारा 10 को आकर्षित करता है, यदि ऐसा है, तो अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेशों के ब्यौरे दें:

(ग) अधिनियम की धारा 9(घ) के निबंधनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने संबंधी निर्देश प्राप्त किए हैं। यदि ऐसा है, तो सुसंगत आदेश की संख्या और तारीख:

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम 2010 (2010 का 42) के उपबंधों के अनुसार पहले भी अभियोजित किया गया है, तो इससे संबंधित ब्योरे दें:

IndiaCode

9 (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अभिहित एफ.सी. बैंक खाते का विवरण:

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

9 (ख) विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए सभी व्यवहारी बैंक खातों का विवरण (रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक द्वारा भरा जाए):

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

10 (i) (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए यदि पहले पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है तो मंजूरी की संख्या और तारीख:

(ख) तत्संबंधी वार्षिक खाते जमा कराने की तारीख:

(ii) क्या:

(क) संगम ने बिना पूर्व अनुज्ञा के पूर्व में विदेशी अभिदाय प्राप्त किया है। यदि ऐसा है, तो पूरा विवरण प्रदान करें

(ख) उक्त उल्लंघन को केन्द्रीय सरकार द्वारा माफ कर दिया गया है / प्रशमन किया गया है, यदि ऐसा है तो संगत आदेश की संख्या और दिनांक:

(ग) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए संगम को प्रतिषिद्ध किया गया है, यदि ऐसा है तो, उसका विवरण।

11. क्या

(i) संगम ने पहले विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो उसका विवरण:

(ii) संगम ने पहले विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) / विदेशी अभिदाय (विनियम)अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के अन्तर्गत पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन किया था, यदि ऐसा है तो विवरण:

(iii) संगम का किसी अन्य एसोसिएशन (नों), अथवा इनकी यूनिट (टों) अथवा शाखाओं से निकट संबंध हैं, जिन्हें,

(क) रजिस्ट्रीकरण/ पूर्व अनुज्ञा के लिए मना किया गया है:

(ख) विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है:

(ग) निलंबित किया गया है अथवा जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है;

(घ) यदि (क) से (ग) तक उत्तर, हां है तो, कृपया पूरा विवरण दें।

12. दाता से विदेशी अभिदाय के लिए वचनबद्धता का विवरण: (केवल पूर्व अनुज्ञा वाले मामलों हेतु लागू);

विदेशी अभिदाय की प्रकृति	मूल्य (मुद्रा के नाम सहित)	परियोजना/गतिविधि का नाम, परियोजना और बजट ब्रेक-अप के संक्षिप्त विवरण सहित कार्यान्वयन का पता	उद्देश्य (सांस्कृतिक/आर्थिक / शैक्षिक/ धार्मिक/ सामाजिक
(1)	(2)	(3)	(4)

(दाता से वर्तमान और विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता पत्र की एक प्रति संलग्न की जाए)

13. उन विदेशी स्रोत (तों) का विवरण जिनसे विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है (केवल पूर्व अनुमति वाले मामलों हेतु लागू):

विदेशी स्रोत का नाम	कार्यालय पता; शासकीय ई-मेल पता	व्यक्तिगत दाता के मामले में		
(1)	(2)	(3)		
		पिता /पति/ पत्नी का नाम	राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संख्या	व्यवसाय

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर
[मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में]
(संगठन / संगम की मुहर)

IndiaCode

घोषणा एवं शपथ

(क) मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि दिया गया उपरोक्त विवरण सत्य एवं सही है;
और मैं शपथ लेता हूं कि:

(ख) विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) / के उपबंधों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी नियमों, अधिसूचनाओं /आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा;

स्थान:
तारीख:

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर
[मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में]
(संगठन / संगम की मुहर)

नोट: रजिस्ट्रीकरण करवाने वाले आवेदक को संगम की पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित विवरणी और गतिविधि रिपोर्ट भी संलग्न करनी होगी।

प्ररुप एफ.सी-4

[नियम 17 देखें]

सचिव भारत सरकार
गृह मंत्रालय
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध),
एन.डी.सी.सी.-।। भवन,
जय सिंह रोड (जन्तर मंतर के सामने)
नई दिल्ली -110001

IndiaCode

विषय: 31 मार्च को समाप्त हो रहे वर्ष हेतु विदेशी अभिदाय का लेखा।

1. एफ.सी.आर.ए रजिस्ट्रीकरण / पूर्व अनुज्ञा की संख्या और तारीख:
2. विदेशी अभिदाय प्राप्ति और उपयोग का विवरण:

(i) नकद / वस्तुरूप में प्राप्त विदेशी अभिदाय (मूल्य)

(क) वर्ष के आरंभ में अग्रानीत विदेशी अभिदाय (रू0)	
(ख) वर्ष के दौरान ब्याज अथवा अन्य प्राप्ति	
(ग) वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय	
(i) किसी विदेशी स्रोत से सीधे ही प्राप्त	
(ii) स्थानीय स्रोत अंतरण के रूप में	
(घ) कुल विदेशी अभिदाय (क+ख+ग) (रू0)	

* अर्थात् विदेशी अभिदाय पर अर्जित ब्याज, अथवा विदेशी अभिदाय से प्राप्त अन्य आय, उदाहरणत: विदेशी अभिदाय से व्युत्पन्न बिक्री संबंधी आय, वर्ष के दौरान उस पर ब्याज

(ii) (क) रु0 20,000/- से अधिक प्राप्त विदेशी अभिदाय का दातावार विवरण:

क्र0 सं0	दाता(ओं) का नाम	संस्थागत / व्यक्तिगत	दाता का विवरण: शासकीय पता; ई - मेल पता; वेबसाइट का पता	किस प्रयोजन (यों) के लिए प्राप्त किया गया	राशि (रु0)
1	2	3	4	5	6

(ख) प्राप्त सभी विदेशी अभिदाय अनुदानों की संचयी प्रयोजन-वार राशि:

(iii) विदेशी अभिदाय के उपयोग का विवरण

(क)संगम के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार परियोजनाओं के लिए कुल उपयोग++ (रु0)	
(ख) नियम 5, एफ सी आर आर 2011 में दिए अनुसार कुल प्रशासनिक व्यय (रु0)	
(ग) सावधि जमा में निवेशित कुल (रु0)	
(घ) नई परिसंपत्तियों का कुल क्रय (रु0)	
(ङ) वर्ष में कुल उपयोग (रू0) (क+ख+ग+घ)	

++ अभिपुष्टि की जाती है कि विदेशी अभिदाय के उपयोग से एफ.सी.आर.ए, 2010 में उल्लिखित उपबंधों और विशेषकर अधिनियम की धारा 9 और धारा 12 में उल्लिखित उपबंधों का उल्लंघन नहीं हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से

(क) भारत की सम्प्रभुता और एकता पर ; अथवा

(ख) देश की सुरक्षा, कूटनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों पर; अथवा

(ग) लोकहित; अथवा

(घ) किसी विधान सभा के चुनाव की स्वतंत्रता अथवा निष्पक्षता; अथवा

(ङ) किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मित्रवत संबंधों; अथवा

(च) धार्मिकता, जातीय, सामाजिक, भाषायी अथवा क्षेत्रीय समूहों, वर्णों अथवा समुदायों

IndiaCode

पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(iv) वर्ष के अन्त में नकद/बैंक में शेष अप्रयुक्त विदेशी अभिदाय (रू0)

(v) कुल विदेशी कार्मिकों की सं0 (वेतनभोगी/अवैतनिक क्षमता में);

3 (क) विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए अभिहित एफ सी बैंक खाते का विवरण (समाप्त हो रहे वर्ष के 31 मार्च तक)

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड के साथ)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए व्यवहारी सभी बैंक खातों का विवरण (समाप्त हो रहे वर्ष के 31 मार्च तक)

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड के साथ)	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

IndiaCode

घोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरा द्वारा प्रदान किए गए उर्पयुक्त विवरण सत्य तथा सही हैं।

मैं यह पुष्टि करता हूं कि विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010, नियमों, के उपबंधों और समय-समय पर इसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं / आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है और विदेशी अभिदाय उस प्रयोजन (नों) के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संगम को रजिस्ट्रीकरण / पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई थी।

स्थान:

तारीख:

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर

[मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में]

(संगम की मुहर)

चार्टर्ड लेखाकार द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

मैंने/हमने, ---------- (संगम का नाम और उसका पूरा पता जिसमें राज्य, जिला और पिन कोड़, यदि रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है तो उसका रजिस्ट्रीकरण संख्या, रजिस्ट्रीकरण के राज्य का उल्लेख हो) के 31 मार्च ---------- को समाप्त वर्ष के लिए खातों की लेखा परीक्षा की है और सभी संगत पुस्तिकाओं और वाउचरों की जांच की है तथा लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुसार यह प्रमाणित करता हूं कि

(i) वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिभूतियों के रूप में आगे लाया गया निवेश ---------- रुपये था;

(ii) संगम ने वित्त वर्ष ---------- के दौरान ---------- रुपये का विदेशी अभिदाय प्राप्त किया था।

(iii) संगम द्वारा वित्तीय वर्ष -------- के दौरान विदेशी अभिदाय पर प्राप्त ब्याज और विदेशी अभिदाय अथवा उस पर ---------- रु0 का ब्याज प्राप्त किया गया था।

(iv) संगम के पास वित्त वर्ष ---------- की समाप्ति पर अनप्रयुक्त शेष विदेशी अभिदाय ---------- रुपये था।

(v) प्रमाणित किया जाता है कि संगम ने विदेशी अभिदाय के खातों और उससे संबंधित रिकार्डों का विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियमावली 2011 के नियम 17 के साथ पठित विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (वर्ष 2010 का 42) की धारा 19 में निर्धारित अनुरक्षण किया है।

(vi) इस प्रमाणपत्र में और संलग्न तुलनपत्र में प्रदान कराई गई जानकारी और प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण सही है क्योंकि उसकी मैंने/हमने जांच कर ली है।

(vii) संगम ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण / प्रदान की गई पूर्व अनुज्ञा के उद्देश्य (यों) हेतु प्राप्त विदेशी अभिदाय का उपयोग किया है।

स्थान:

दिनांक:

(चार्टर्ड लेखाकार के हस्ताक्षर)

(मुहर, पता एवं रजिस्ट्रीकरण संख्या)

प्ररुप एफ सी - 5

(नियम 24 (1) देखें)

सचिव भारत सरकार

गृह मंत्रालय

विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध),

एन.डी.सी.सी.-II भवन,

जय सिंह रोड (जन्तर मंतर के सामने)

नई दिल्ली -110001

विषय: विदेशी अभिदाय किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत / गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने का आवेदन

महोदय,

मैं ---------- , संगम की ओर से, विदेशी अभिदाय निम्नलिखित विवरण के अनुसार रजिस्ट्रीकृत/अरजिस्ट्रीकृत अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 7 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करता हूं:

1. आवेदक/ अन्तरक संगम का एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण/ पूर्व अनुज्ञा सं0 और तारीख
2. प्राप्तकर्ता / अंतरिती संगम का विवरण:
 (i) पूरा नाम:
 (ii) संपर्क विवरण
 (क) पता:
 (ख) संगम का शासकीय दूरभाष सं0 (एस टी डी कोड सहित):
 (ग) शासकीय ई - मेल पता:-
 (घ) मुख्य कार्यकारी का दूरभाष सं0 (एस टी डी कोड सहित) मोबाइल संख्या

(iii) संगम का पैन नं0 (स्थाई खाता संख्या)

3. प्राप्तकर्ता/अंतरिती संगम के रजिस्ट्रीकरण का विवरण:

IndiaCode

(क)ऐसे अधिनियम जैसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860, इंडियन ट्रस्ट अधिनियम, 1882, कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम 2013 आदि का नाम जिसके अन्तर्गत संगम रजिस्ट्रीकृत है:

(ख) पंजीकरण सं0, तारीख और रजिस्ट्रीकरण का स्थान:

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

4. अंतरित किए जाने वाले विदेशी अभिदाय की राशि:
5. प्रस्तावित विदेशी अभिदाय के अन्तरण का प्रयोजन
6. प्राप्तकर्ता के बैंक का विवरण और खोला गया विशिष्ट नामोद्दिष्ट एफ.सी.आर.ए खाता जिसमें एफ.सी. अंतरित किया जाना प्रस्तावित है:

बैंक का नाम	शाखा का पता (पिन कोड सहित	आई.एफ.एस.सी. कोड	खाता सं0
(1)	(2)	(3)	(4)

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त जानकारी सत्य और सही है।

IndiaCode

मुख्य कार्यकारी के हस्ताक्षर
[मुख्य कार्यकारी का नाम स्पष्ट अक्षरों में]
(संगम की मुहर)

टिप्पण:

(i) प्रत्येक आवेदन के साथ अन्तरक संगम की तरफ से इस बारे में एक घोषणा संलग्न होनी चाहिए कि-

(क)वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तावित अन्तरण हेतु राशि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से कम है;

(ख) अंतरक विदेशी अभिदाय की कोई भी राशि का तब तक अन्तरण नहीं करेगा जब तक केन्द्रीय सरकार ऐसे अन्तरण का अनुमोदन नहीं कर दे।

(ii) अंतरक और प्राप्तकर्ता दोनों अन्तरित विदेशी अभिदाय का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा यह अन्तरण अंतरक और प्राप्तकर्ता द्वारा जमा किए जाने वाले विवरण फार्म एफ सी-4 में दर्शाया जाएगा।

प्ररुप एफ.सी. 6

[नियम 9 और 17क देखें]

सचिव भारत सरकार
गृह मंत्रालय
विदेशी प्रभाग (एफ.सी.आर.ए. स्कन्ध),
एन.डी.सी.-II भवन,
जय सिंह रोड,
नई दिल्ली -110001

विषय: विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रीकरण / पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई संगम के संबंध में अभिहित बैंक खाता, व्यवहारी खाता, नाम/पता/लक्ष्यों/उद्देश्यों / मुख्य सदस्यों के परिवर्तन के बारे में केन्द्रीय सरकार को विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2010(2010 का 42) के नियम 9 और नियम 17क के अन्तर्गत सूचना:

महोदय,

मैं व्यक्ति / संगम / कंपनी के रूप में विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17क के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एतद्द्वारा निम्नलिखत सूचना देता हूं:

संगम के नाम और / अथवा लक्ष्यों और उद्देश्यों में परिवर्तन	हां/नहीं
उक्त अधिनियम के अधीन जिस हेतु रजिस्ट्रीकरण /पूर्व अनुज्ञा प्रदान की गई है उस राज्य के अन्दर ही पते में परिवर्तन	हां/नहीं

IndiaCode

विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग हेतु अभिहित बैंक/शाखा/बैंक खाता सं. में परिवर्तन	हां/नहीं
विदेशी अभिदाय के उपयोग के प्रयोजन के लिए उपयोग बैंक खाते खोलना	हां/नहीं
संगम के 50% से अधिक मुख्य सदस्यों का परिवर्तन	हां/नहीं

1. एसोसिएशन का एफ.सी.आर.ए. रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा सं. और तारीख:
2. एसोसिऐशन का कार्यालय टेलीफोन न.
3. एसोसिऐशन का ई-मेल पता:
4. एसोसिऐशन के मुख्य कार्यकर्ता का टेलीफोन/मोबाइल सं.

भाग क

(संगम के नाम और/या लक्ष्य और उद्देश्यों में परिवर्तन के संबंध में जानकारी देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाना)

IndiaCode

(i) स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारी के पास रखे अभिलेख के अनुसार संगम का संशोधित/परिवर्तित नाम

(ii) स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारी के पास रखे अभिलेख के अनुसार संगम के संशोधित/परिवर्तित लक्ष्य और उद्देश्य

(स्थानीय/सुसंगत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित संशोधन की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न की जाती है)

भाग-ख

(एफ.सी.आर.ए., 2010 अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने वाले राज्य के भीतर पता बदलने के संबंध में जानकारी देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाना)

संगम का नया पता:

भाग-ग

(विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग हेतु अभिहित बैंक/बैंक की शाखा/लेखा सं. बदलने के संबंध में जानकारी देते हुए आवेदक द्वारा भरा जाना)

विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग के लिए संगम के नए अभिहित बैंक खाते का विवरण

बैंक का नाम	शाखा पता	आई.एफ.एस.सी. कार्ड	लेखा सं.
(1)	(2)	(3)	(4)

(परिवर्तन के संबंध में वर्तमान बैंक और नए बैंक से पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतिया संलग्न की जानी है)

भाग-घ

(विदेशी अभिदाय के उपयोग के प्रयोजन के लिए उपयोग बैंक लेखा (लेखे) खुलवाने की सूचना देने हेतु आवेदक द्वारा भरा जाना

IndiaCode

बैंक का नाम	शाखा पता	आई..एफ.एस.सी. कोड	उपयोग लेखा सं.
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग-ड.

(संगम के 50% से अधिक मुख्य सदस्यों में परिवर्तन के संबंध में जानकारी देने हेतु आवेदक द्वारा भरा जाना)

एफ.सी.आर.ए., 2010 के अंतर्गत संगम के रजिस्ट्रीकरण/पूर्व अनुज्ञा/पंजीकरण का नवीकरण प्रदान करने हेतु आवेदन में बताए गए अनुसार मूल मुख्य सदस्यों के 50% या अधिक में परिवर्तन के उपरान्त संगम के सभी मुख्य सदस्यों का विवरण:

नाम	पिता/पिता का नाम	राष्ट्रीयता	आधार सं. यदि कोई हो	पेशा	संगम में पदनाम	कार्यकारी परिषद/शासी निकाय के अन्य सदस्यों/पद धारियों के साथ संबंध	संपर्क विवरण; कार्यालय पता; निवास पता; ई-मेल पता; लैंड लाइन नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

यदि उपरोक्त में से कोई विदेशी है (पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. कार्ड धारक सहित), तो उसका विवरण

नाम	जन्म की तारीख और स्थान	पासपोर्ट सं.	विदेश में पता	क्य भारतीय मूल का व्यक्ति	पी.ओ.आई./ओ.सी.आई कार्ड सं. यदि कोई हो	यदि भारत का निवासी है, तो वह तारीख जब से भारत में निवास कर रहा है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मैं एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य और ठीक है और

(क) नाम और/या लक्ष्य और उद्देश्यों में परिवर्तन; संगम के पते का उचित रूप से संबंधित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास रिकार्ड रखा गया है।

(ख) परिवर्तन करने से पहले शासी निकास का संकल्प पारित किया गया था।

(ग) बैंक प्राधिकारियों को नामित बैंक लेखे में परिवर्तन उपयोग लेखा खोलने के बारे में उचित रुप से सूचना दी गई है।

IndiaCode

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 12(4) के उल्लंघन में कोई भी मुख्य सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है।

(जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

मुख्य कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

(मुख्य कार्यकर्ता का नाम मोटे अक्षरों में)

(संगम की मुहर)"

(फाइल सं. II/21022/23(52)/2014-एफ.सी.-II)

(जी.के. द्विवेदी)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पण: मूल नियम तारीख 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 349(अ), के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इसके बाद 12 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 292(अ), के अंतर्गत संशोधित किए गए थे।

IndiaCode